पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

2013 की विविध अपील सं. 680

==========

1. शैला देवी वाल्मीकि सिंह की पत्नी ग्राम- बेरौती तोला इंदरपुर, पी. ओ. नेपुरा, थाना-दीपनगर, जिला-नालंदा की निवासी हैं।
2. वाल्मीकि सिंह स्वर्गीय राम खेलावन सिंह के पुत्र ग्राम- बेरौती तोला इंदरपुर, पी. ओ. नेपुरा, थाना-दीपनगर, जिला-नालंदा के निवासी हैं।

.....अपीलार्थी/गण

1. प्रेम निरंजन कुमार, पुत्र- श्री सुरेंद्र सिंह, ट्रैक्टर सं. बी.आर. 21 बी/1831 चेचिस सं. एन. जी. एच. 17886, इंजन सं. एन. जी. एच. 17886 के मालिक, गाँव - जलालपुर, पी. ओ.- एकदौगा, थाना- वेलछी, जिला- पटना।
2. पप्पु कुमार, पुत्र- स्वर्गीय परशुराम सिंह, ट्रैक्टर सं. बी. आर.-21बी/1831 के चालक गाँव- पारसी, थाना- भगनबिघा, जिला- नालंदा।
3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा प्रबंधक कार्यालय रंजन परिसर, पटना रांची रोड बिहारशरीफ के माध्यम से।
4. मो. सामी अहमद पुत्र मो. घासू ग्राम-निर्पुर, थाना-बिंद, जिला-नालंदा।

.....उत्तरदाता/गण

==========

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील-निष्पक्ष और पर्याप्त मुआवजे के लिए-मृतक की आय का कोई सबूत नहीं-दैनिक मजदूरी कमाने वाले की आय को ध्यान में रखा गया-सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम 2009 (6) एस. सी. सी. 121 में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ।

अभिनिर्धारित किया गयाःन्यायाधिकरण ने यह मानते हुए गलती की कि 1,000 रुपये प्रति माह की आय जो 5,000 रुपये होनी चाहिए थी-कुल देय मुआवजे को 18 से गुणा किया जाना चाहिए था, न कि 16 से-दावा याचिका दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार दावेदार-मृतक की मां को मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि मृतक का पिता एक कमाने वाला व्यक्ति हो सकता था।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

2013 की विविध अपील सं. 680

==========

1. शैला देवी वाल्मीकि सिंह की पत्नी ग्राम- बेरौती तोला इंदरपुर, पी. ओ. नेपुरा, थाना-दीपनगर, जिला-नालंदा की निवासी हैं।
2. वाल्मीकि सिंह स्वर्गीय राम खेलावन सिंह के पुत्र ग्राम- बेरौती तोला इंदरपुर, पी. ओ. नेपुरा, थाना-दीपनगर, जिला-नालंदा के निवासी हैं।

.....अपीलार्थी/गण

1. प्रेम निरंजन कुमार, पुत्र- श्री सुरेंद्र सिंह, ट्रैक्टर सं. बी.आर. 21 बी/1831 चेचिस सं. एन. जी. एच. 17886, इंजन सं. एन. जी. एच. 17886 के मालिक, गाँव - जलालपुर, पी. ओ.- एकदौगा, थाना- वेलछी, जिला- पटना।
2. पप्पु कुमार, पुत्र- स्वर्गीय परशुराम सिंह, ट्रैक्टर सं. बी. आर.-21 बी/1831 के चालक गाँव- पारसी, थाना- भगनबिघा, जिला- नालंदा।
3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा प्रबंधक कार्यालय रंजन परिसर, पटना रांची रोड बिहारशरीफ के माध्यम से।
4. मो. सामी अहमद पुत्र मो. घासू ग्राम-निर्पुर, थाना-बिंद, जिला-नालंदा।

.....उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से : श्री रवि भूषण प्रसाद सं. 1, अधिवक्ता
श्री विजय प्रकाश भार्गव, अधिवक्ता

प्रतिवादी की आरे से : बिमलेशकुमार झा, अधिवक्ता

==========

कोरम (समक्ष): माननीय न्यायमूर्ति श्री बीरेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

दिनांक: 04-02-2019

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. मृतक-टूटू कुमार उर्फ अरविंद कुमार के माता-पिता मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदार थे, उन्होंने एम.ए.सी.टी. मामलों सं. 92/2005 30.05.2013 को पारित के फैसले

और निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा उचित और पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है।

3. दावेदारों ने इस आधार पर 1 लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया था कि मृतक की मृत्यु के समय आयु लगभग 20 वर्ष थी और वह एक दुकानदार था। हालांकि, व्यवसाय से आय का कोई प्रमाण रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था।

4. विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मासिक आय को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं होने पर उसकी औसत मासिक आय 1,000/- रुपये मानी जाती है 16 का गुणक लागू किया गया और उसके बाद मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की गई। उपरोक्त राशि के अलावा, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 2,000/- रुपये और संघ के नुकसान के लिए 5,000/- रुपये दिए गए।

5. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति यह है कि जहां निर्णयों के एक समूह में मृतक की आय का कोई प्रमाण नहीं है, वहां भी यह कहा गया है कि दैनिक मजदूरी कमाने वाले की आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, मृतक की मासिक आय 5,000/- रुपये आंकी जानी चाहिए थी। इसके अलावा, मृतक की उम्र को देखते हुए 16 के बजाय 18 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था।

6. मुझे अपीलार्थियों के लिए विद्वत वकील के दलील में हम नजर आता, विद्वत न्यायाधिकरण ने 1,000/- रुपये प्रति माह की आय ग्रहण करने में गलती की है जो रिकॉर्ड पर इसके विपरीत किसी भी साक्ष्य के अभाव में 5,000/- रुपये होनी चाहिए। इसी प्रकार, **2009(6) एस सी सी 121**, **सरला वर्मा एवं अन्य बनाम् दिल्ली परिवहन निगम और अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर 18 के गुणक का उपयोग किया जाना चाहिए था मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार, कुल देय क्षतिपूर्ति Rs.60,000/- को 18 से गुणा किया जाना चाहिए जो रु. 10,80,000/- के बराबर है।

7. मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए, जो स्व-नियोजित था, उपरोक्त राशि का 40 प्रतिशत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी** में

न्यायालय, 2017(4) पी एल जे आर 261 में प्रतिवेदित फैसले को देखते हुए भविष्य की संभावना के रुप में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार राशि रु. 10,80,000/- + 40 प्रतिशत पर आती है जो रु. 4,32,000-कुल रु 15,12,000-उपरोक्त राशि में से 50 प्रतिशत मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती योग्य है, जो अविवाहित था। इस प्रकार, वास्तविक देय मुआवजा रु. 7,56,000-आता है। दावेदार दावा याचिका दायर करने की तारीख से विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भी हकदार है, न कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित आदेश की तारीख से।

8. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को उपरोक्त गणना के अनुसार न्यायसंगत मुआवजे का निर्णय लेने के लिए प्रचलित कानून पर कोई आपत्ति नहीं है। मुआवजे की राशि दावेदार-मृतक की मां शैला देवी को दी जानी चाहिए क्योंकि एक अन्य दावेदार-वाल्मिकी सिंह, जो मृतक का पिता था, एक कमाने वाला व्यक्ति हो सकता है।

9. चूंकि मृत्यु वर्ष 2004 में हुई थी, इसलिए अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 2,000/- रुपये के अनुदान में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, दावेदार संघ के नुकसान के खिलाफ दी गई किसी भी राशि के हकदार नहीं हैं, क्योंकि मृतक अविवाहित था।

10. यदि दावेदार को पहले ही कोई राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो उसे देय राशि में से काट लिया जाएगा।

11. आक्षेप में उपरोक्त संशोधन के साथ निर्णय और अधिनिर्णय, इस अपील का निपटारा किया जाता है।

(बीरेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

नितेश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।